क्रम-संख्या–104 (क–2)

रजिस्ट्रेशन नम्बर–एस0एस0पी0/एल0

डब्लू/एन0पी0–91/2014–16

लाइसेन्स टू पोस्ट ऐट कन्सेशनल रेट

सरकारी गजट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेशीय सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट

भाग–4, खण्ड (क)

(सामान्य परिनियम नियम)

लखनऊ, शुक्रवार, 5 जुलाई, 2024

आषाढ़ 14, 1946 शक सम्वत्

उत्तर प्रदेश शासन

श्रम अनुभाग–2

संख्या 1155/36-2–2024-10(जी)-2017

लखनऊ, 5 जुलाई, 2024

अधिसूचना

सा०प०नि०–20

साधारण खण्ड अधिनियम, 1897 (अधिनियम संख्या 10 सन् 1897) की धारा 21 के साथ पठित भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार (नियोजन तथा सेवाशर्त विनियमन) अधिनियम, 1996 (अधिनियम संख्या 27 सन् 1996) की धारा 62 और धारा 40 के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करके, राज्यपाल उत्तर प्रदेश भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार (नियोजन तथा सेवाशर्त विनियमन) नियमावली, 2009 में संशोधन करने की दृष्टि से निम्नलिखित नियमावली बनाती हैं :–

उत्तर प्रदेश भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार (नियोजन तथा सेवाशर्त विनियमन) (षष्टम संशोधन) नियमावली, 2024

संक्षिप्त नाम, लागू और प्रारम्भ

1–(1) यह नियमावली उत्तर प्रदेश भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार (नियोजन तथा सेवाशर्त विनियमन) (षष्टम संशोधन) नियमावली, 2024 कही जायेगी;

(2) यह सम्पूर्ण उत्तर प्रदेश राज्य में उन अधिष्ठानों को छोड़कर किसी अधिष्ठान से सम्बन्धित ऐसे समस्त भवनों या अन्य सन्निर्माण कार्यों के लिये लागू होगी, जिनके सम्बन्ध में समुचित सरकार अधिनियम के अधीन केन्द्र सरकार हो;

(3) यह नियमावली गजट में प्रकाशित किये जाने के दिनांक से प्रवृत्त होगी।

नियम 263 का संशोधन

2– उत्तर प्रदेश भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार (नियोजन तथा सेवा शर्त विनियमन) नियमावली, 2009 में नीचे स्तम्भ–1 में दिये गये नियम 263 के उपनियम (3) के स्थान पर ,स्तम्भ–2 में दिया गया उपनियम रख दिया जायेगा, अर्थात् :–

स्तम्भ–1 विद्यमान उपनियम	स्तम्भ–2 एतद्द्वारा प्रतिस्थापित उपनियम
(3)–बोर्ड, राज्य सरकार की पूर्व अनुमति से बोर्ड के सचिव के रूप में ऐसे सरकारी अधिकारी की नियुक्ति करेगा, जो उप श्रमायुक्त की पंक्ति से निम्न न हो।	(3)–बोर्ड, राज्य सरकार की पूर्व सहमति से बोर्ड के सचिव के रूप में ऐसे अधिकारी की नियुक्ति करेगा, जो भारतीय प्रशासनिक सेवा के विशेष सचिव रैंक का अधिकारी हो।

आज्ञा से,
अनिल कुमार,
प्रमुख सचिव।

———————

IN pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of notification no. 1155/XXXVI-2–2024-10(G)-2017, dated July 5, 2024:

No. 1155/XXXVI-2–2024-10(G)-2017
Dated Lucknow, July 5, 2024

IN exercise of the powers conferred under section 62 and section 40 of the Building and Other Construction Workers (Regulation of Employment and Conditions of Service) Act, 1996 (Act no. 27 of 1996) *read* with section 21 of the General Clauses Act, 1897 (Act no. 10 of 1897), the Governor is pleased to make the following rules with a view to amend the Uttar Pradesh Building and Other Construction Workers (Regulation of Employment and Conditions of Service) Rules, 2009 :

THE UTTAR PRADESH BUILDING AND OTHER CONSTRUCTION WORKERS (REGULATION OF EMPLOYMENT AND CONDITIONS OF SERVICE) (SIXTH AMENDMENT) RULES, 2024

Short title, application and commencement

1. (1) These rules may be called the Uttar Pradesh Building and other Construction Workers (Regulation of Employment and Conditions of Service) (Sixth Amendment) Rules, 2024;

(2) They shall apply to all buildings or other construction works relating to any establishment throughout the State of Uttar Pradesh except those in relation to which appropriate Government is the Central Government Under the Act;

(3) These rules shall come into force with effect from the date of their publication in the *Gazette*.

Amendment of rule 263

2. In the Uttar Pradesh Building and other Construction Workers (Regulation of Employment and Conditions of Service) Rules, 2009 *for* sub-rule (3) of rule 263 set out in Column-1 below, the sub-rule as set out in Column-2 shall be *substituted*, namely :-

COLUMN-1 *(Existing sub-rule)*	COLUMN-2 *(Sub-rule as hereby substituted)*
(3) The Board may with the prior concurrence of the State Government appoint an officer of the Government not below the rank of a Deputy Labour Commissioner as Secretary of the Board.	(3) The Board may, with the prior concurrence of the State Government, appoint such an officer as the Secretary of the Board who shall be an officer of the rank of Special Secretary of the Indian Administrative Service.

By order,
ANIL KUMAR,
Pramukh Sachiv.

पी०एस०यू०पी०–ए०पी० 134 राजपत्र–2024–(394)–599 प्रतियाँ (कम्प्यूटर / टी0 / ऑफसेट)।
पी०एस०यू०पी०–ए०पी० 6 सा0 श्रम–2024–(395)–1200 प्रतियाँ (कम्प्यूटर / टी0 / ऑफसेट)।

134 RPH 2024 (Shram anu-2) Data 4e